(152)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

M-5146-II/17

बुद्विमान सिंह वगैरह [illegible] ---- आवेदक

[illegible]

बनाम

हरिपति सिंह [illegible] ---- अनावेदक

अधि0 श्री जी.एन. सिंह [illegible]
द्वारा प्रस्तुत / 04-4-17

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

प्र. क्र. निग0 5391/3/13 [illegible] 17.2.16

मान्यवर,

निम्न आधार पर पुर्नस्थापन आवेदन प्रस्तुत है:–

1– यह कि मान्नीय बोर्ड के समक्ष आवेदक द्वारा अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय के आदेश के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई थी ।

2– यह कि प्रकरण की पैरवी हेतु आवेदक द्वारा अधिवक्ता नियुक्ति किया गया था। प्रकरण कायमी के तर्क हेतु दिनांक 17/02/16 नियत किया गया था ।

3– आवेदक अधिवक्ता उक्त नियत दिनांक 17/02/16 को घर में मांगलिक कार्यक्रम(पुत्र के वारिच्छा) आयोजित होने के कारण हाजा न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और न ही पक्षकार को सूचित कर सके लिहाजा मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया , प्रकरण वास्ते कायमी पर आदेश हेतु नियत कर प्रकरण सार्किट कोर्ट से राजस्व मण्डल ग्वालियर ले जाया गया जिसमें दिनांक 10/03/16 को आदेश पारित कर कायमी के प्रकरण में ही प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया ।

4– यह कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा सर्किट कोर्ट रीवा के सम्बन्धित रीडर से प्रकरण की जानकारी लिये जाने पर कई बार यह आश्वासन दिया गया कि आगामी तारीख पेशी पर जब रीवा आयेगें तब आपको उक्त प्रकरण की जानकारी देगें, काफी प्रयास के बाद दिनांक 23/03/17 को सम्बन्धित रीडर द्वारा बताया गया कि प्रकरण अदम पैरवी में दिनांक 10/03/16 को निरस्त हो गया है। उक्त तथ्य की जानकारी होते ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा वगैर किसी बिलम्ब के प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 23/03/17 को ही आवेदन

MS/46-II/17 - सिगरौली
रुद्रिमान सिंह / हरिपति सिंह

स्थान तथा दिनांक	अथवा आदेश	पक्षकारों आदि के हस्ताक्षर
27.4.17	1- प्रकरण पेश। 2. आवेदक अभिभाषक श्री जी.एन. सिंह द्वारा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया जिसके आधार पर प्रकरण आज लिया गया। 3 आवेदक द्वारा यह आवेदन संहिता की धारा 35(3) के तहत मूल प्रकरण क्रमांक R.4391-तीन/13 अदम पैरवी दिनांक 17.2.16 को पुनर्स्थापन बाबत पेश किया गया है। आवेदन के साथ शपथ पत्र भी पेश किया गया है। उक्त आवेदन पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत मूल प्रकरण क्रमांक R 4391-तीन/13 पुनः नम्बर में लिये जाने हेतु आदेश किया जाता है। तदनुसार नम्बर में चालू किया जावे। 4. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दाखिल हो। सदस्य	[signature]

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.